

कार्यालय वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)



अरण्य भवन, रामपुर रोड, हल्द्वानी (नैनीताल) दूरभाष/फैक्स : 05946—220003 ई.मेल : cfwkum-forest-uk@nic.in.

हल्द्वानी, दिनांक, अगस्त, 👩 🌂

2022.

सेवा में.

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फौरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहराद्न।

विषय :--

जनपद चम्पावत के हल्द्वानी वन प्रभाग के अन्तर्गत आरक्षित वन क्षेत्र में बहने वाली शारदा नदी के स्वीकृति (FC) पुर्नप्रस्ताव में भारत सरकार द्वारा लगायी गयी आपत्तियों के निराकरण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:-

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन नई दिल्ली की पत्र संख्या—8—61 / 1999—FC (Pt.VII) दिनांक—13.05.2022 ।

महोदय.

उपरोक्त विषयक प्रकरण में संदर्भित पत्र के माध्यम से आपित्त लगायी गयी है। प्रभागीय वनाधिकारी, हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी द्वारा अपनी पत्र संख्या—241/12—1 दिनांक 30.07.2022 (छाया प्रति संलग्न) के माध्यम से उक्त आपित्तयों का उत्तरालेख इस कार्यालय में उपलब्ध कराया गया, जो कि निम्न प्रकार है:—

आपत्ति

i. Detail of compensatory afforestation, in lieu of approval accorded for 384.69 ha of forest land, undertaken in the past, its survival percentage, year wise detail of expenditure proposed and incurred needs to be submitted by the State along with soft copies of KML/shape files of all sites to enable indepth analysis of the proposal using DSS tools.

उत्तरालेख

प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण के विवरण एवं KML/Shape File की सी.डी प्रेषित की गयी है, जो प्रभागीय वनाधिकारी के पत्र के साथ संलग्न है तथा क्षतिपूरक वृक्षारोपण की सूचना अतिरिक्त कॉलम में अपलोड कर दी गयी है।

ii. Analysis of the proposal using Decision Support System revealed the following:

a. As per DSS analysis, out of total area of 397 ha (software estimated), 52 ha falls under MDF, 15 ha open forest, 139 ha under water and remaining 191 ha as non-wooded forest land. Therefore, in light of observation made in DSS report, submission made by the State need justification to support their claim of area having vegetation density of 0.01 with no project affected trees. Discrepancy in the area may also be commented upon by the State. State also needs to justify the inclusion of 139 ha reportedly under water for proposed mining.

प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त प्रस्ताव में प्रस्तावित खनन क्षेत्र 384.69 है0 लिया गया है। जिसका मानचित्र मय कॉर्डिनेट संलग्न किया गया है। उक्त क्षेत्र पूर्व में भी लिया गया था। जिस पर वर्तमान में खनन किया जा रहा है। प्रस्तावित उपखनिज चुगान क्षेत्र के दोनों ओर आरक्षित वन क्षेत्र है, जबकि उपखनिज चुगान क्षेत्र वृक्ष विहीन है।

b. Tanakpur dam, NHPC Ltd. power station and a road is visible inside the area proposed for mining. Some non-forestry works is visible near the dam site which can be verified through the Google Imagery available from year 2019 onwards. State Government may comments on the same via-a-vis violation of Forest (Conservation) Act, 1980.

प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि टनकपुर बैराज से अपस्ट्रीम में जलाशय क्षेत्र आर०डी0 2200 मी0 तक है तथा टनकपुर बैराज से डाउनस्ट्रीम में निर्मित 335 मीटर तक है, जो खनन हेतु प्रतिबन्धित है साथ ही एन०एच०पी०सी० द्वारा पावर स्टेशन तक नहर के किनारे निर्मित की गई सड़क का प्रयोग एन०एच०पी०सी द्वारा किया जाता है। साथ ही आवंटित बॉध क्षेत्र में एन०एच०पी०सी० द्वारा समय—समय पर बॉध की मरम्मत कार्य किया जाता है।

आपित						
	उत्तरालेख					
e. KML file of the safety zone has not been submitted/uploaded online.	प्रभागीय वनाधिकारी के पत्र के साथ छाया प्रति संलग्न है					
d. As the area is located at a distance of approximately 3 km (1.60 km aerial distance) from the boundary of Dudwa-Lagga_Bagga-Philibhit Tiger Corridor, comments of the Chief Wildlife Warden on the proposed proposal may be obtained by the State and the same may be submitted for the Ministry for consideration.	उनकी पत्र संख्या 173/ 12-1/दिनांक 20.07.2022 के द्वारा दुधवा-लग्गा-बग्गा-पीलीभीत टाईगर कॉरीडोर के सम्बन्ध में मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक देहरादून को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु लिखा गया है, जो प्रमागीय वनाधिकारी के पत्र के साथ संलग्न है।					
iii. Examination of the Mining scheme revealed th						
a. Mining Plan/Scheme mention that time extension of lease has been granted for a period of another 10 years vide Government letter dated 26.06.2020. It needs to be clarified by the State whether the extension is considered over 55.03 ha or entire area of 384.69 ha approved under the FC Act, 1980.	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि आगामी 10 वर्षों के शारदा नदी के खनन क्षेत्र का क्षेत्रफल 384.69 है0 है। जिसमें अपस्ट्रीम 101.00 है0 तथा डाउनस्ट्रीम 283.69 है0 है। जिसमें नदी के दोनों किनारों की ओर 25—25% छोड़ा जाता है एवं नदी के टापू के क्षेत्र को सम्मिलित किया गया है। इस प्रकार वर्तमान माईनिंग प्लान में डाउनस्ट्रीम 55.3 है0 क्षेत्र दर्शित है।					
b. Comments of State on validity of Mining Plan / Scheme after 12.02.2023 i.e. whether any revised Mining Plan and renewal of lease is under consideration or granted by the State for further period after the expiry of the lease. In case the certain forest areas are not to be considered mining, such areas should be surrendered back to Forest Department.	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रभाग द्वारा 02 वर्ष का माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है तथा भविष्य हेतु 05 वर्षीय माईनिंग प्लान की प्रक्रिया गतिमान है।					
c. Lease has been considered for extension for a period of 10 years while the Scheme of Mining has been submitted only up-to 27.12.2020. The discrepancy needs to be rectified by the State.	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रभाग द्वारा 02 वर्ष का माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जिसकी अवधि दिनांक 11.02.2023 तक है तथा आगामी वर्षों हेतु माईनिंग प्लान की प्रक्रिया गतिमान है।					
d. Land use / Component wise breakup of the area proposed for diversion i.e. area under mining, infrastructure, approach road, storage of top soils, etc. has not been mentioned neither in the proposal nor in the Mining Scheme. The same needs to be furnished by the State.	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि खनन क्षेत्र में दोनों ओर 25 प्रतिशत भाग को छोड़कर शेप भाग में खनन कार्य किया जाता है इस कारण केवल 192.345 है0 क्षेत्र में ही खनन किया जाता है खनन योग्य क्षेत्र में कोई भी infrastructure नहीं है तथा Approach road को माईनिंग प्लान की प्लेट संख्या 06 में दिखाया गया है।					
e. Mining Plan essentially has to be prepared in consonance with the provisions of the relevant mineral concession rules and accordingly diversion proposal should be formulated by the State. Mining Plan, if any, prepared and approved for the entire period of 10 years may be submitted by the State providing the full detail of the land use, mining area, its reclamation, etc.	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि 02 वर्ष की खनन योजना, राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है तथा 05 साल हेतु खनन योजना प्रस्ताव प्रस्तावित है।					
iv. Status of District Survey Report, if any, prepared by the State Government in Champawat District in accordance with the Guidelines on Sustainable Sand Mining - 2019 issued by the Ministry vis-à-vis recommendation made thereof on the mining of RBM proposed in the extant proposal.	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा चम्पावत जिले की जिला सर्वे रिपींट प्रेपित की गयी है, जो उनके पत्र के साथ संलग्न है।					

आपितत	उत्तरालेख					
The State Government may also submit its comments whether the report prepared by the Indian Institute of Soil and Water Conservation is in conformity with the Sustainable Sand Mining Guidelines 2019 or otherwise.	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के Sustainable Sand Mining Guideline मे 2016 अनुरूप है, जो प्रभागीय वनाधिकारी के पत्र के साथ संलग्न है।					
vi. Details of estimation of cost benefit ratio has not been provided / uploaded online. The same needs to be estimated by accounting all parameters specified in the Guidelines dated 1.08.2017 issued by the Ministry, incorporated at Annexure –III of Handbook of Forest (Conservation) Act, 1980.						
vii. As per Supreme Court order dated 28.03.2008, revenue earned from the sale of RBM should be utilized for conservation work. Detail of amount earmarked and incurred on conservation may be provided on annual basis for the last decade.	्रिसुप्रीम कोटे के आदेश दिनाक 28.03.2008 के अनुसार आर0बी0एम0 की बिक्री से अर्जित राजस्व को विमिन्न विभाग को दिया जाता है विगत वर्षों का विवरण प्रभागीय वनाधिकारी के पत्र के साथ संलग्न है।					
viii. Details of money deposited in SPV made in the previous approval and SMC works done so far matalso be provided.	e प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है वि y एस0पी0वी0 की धनराशि का विगत वर्षों का विवरण प्रभागीय वनाधिकारी के पत्र के साथ संलग्न है।					

अतः प्रभागीय वनाधिकारी की आख्या मय संलग्नकों के सादर सेवा में अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्न- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

वन संरक्षक,

पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।

पत्रांक 66 / उक्तिदिनांकित।

प्रतिलिपि-प्रभागीय वनाधिकारी, हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी को उनके पत्रांक-241/12-1 दिनांक 30.07.2022 के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।



कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी।

1-8-22 01-8-22

तिकोनिया वन परिसर, हल्द्वानी (नैनीताल) दूरभाष / फैक्स : 05946-220002, ई.मेल :dfohld@gmail.com

म्त्रांक <u>२</u>४। / ।२-) हल्द्वानी, दिनांक

30 /07/2022

सेवा में.

वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त,

उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।

विषय:--

जनपद चम्पावत के हल्द्वानी वन प्रभाग के अन्तर्गत आरक्षित वन क्षेत्र में बहने वाली शारदा नदी के स्वीकृति (FC) पुर्नप्रस्ताव FP/UK/Min/154581/2022 में भारत

सरकार द्वारा लगायी गयी आपित्तयों के निराकरण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:-

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन नई दिल्ली की पत्र संख्या—8—61 / 1999—FC (Pt,VII) दिनांक—13 मई 2022 |

महोदय.

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में प्रयोक्ता एजेन्सी (वन निगम) द्वारा भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन नई दिल्ली द्वारा प्रकरण में उठायी गयी आपित्तयों का निराकरण कर अपने पत्र 297 / वन स्वीकृति / दिनांक—30.06.2022 द्वारा अधोहस्ताक्षरी को प्रेषित किया गया था। प्रकरण में उठाये गये बिन्दुओं की संकलित सूचना बिन्दुवार निम्नानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1- Detail of compensatory afforestation, in lieu of approval accorded for 384.69 ha of forest land, undertaken in the past, its survival percentage, year wise detail of expenditure proposed and incurred needs to be submitted by the State along with soft copies of KML/shape files of all sites to enable in-depth analysis of the proposal using DSS tools.

क्षतिपूरक वृक्षारोपण के विवरण एवं KML/Shape File सी.डी में संलग्न हैं तथा क्षतिपूरक वृक्षारोपण की सूचना अतिरिक्त कॉलम में अपलोड कर दी गयी है। (संलग्नक—अ)


2

和村

i. Analysis of the proposal using Decision Support System revealed the following:

a. As per DSS analysis, out of total area of 397 ha (software estimated), 52 ha falls under MDF, 15 ha open forest, 139 ha under water and remaining 191 ha as non-wooded forest land. Therefore, in light of observation made in DSS report, submission made by the State need justification to support their claim of area having vegetation density of 0.01 affected project with Discrepancy in the area may also be commented upon by the State. State also needs to justify the inclusion of 139 ha reportedly under water for proposed mining.

उक्त प्रस्ताव में प्रस्तावित खनन क्षेत्र 384.69 हैक्टे0 लिया गया है। जिसका मानचित्र मय कॉर्डिनेट संलग्न किया गया है। उक्त क्षेत्र पूर्व में भी लिया गया था। जिस पर वर्तमान में खनन किया जा रहा है। प्रस्तावित उपखनिज चुगान क्षेत्र के दोनों ओर आरक्षित वन क्षेत्र है, जबकि उपखनिज चुगान क्षेत्र वृक्ष विहीन है।



b. Tanakpur dam, NHPC Ltd. power station and a road is visible inside the area proposed for mining. Some non-forestry works is visible near the dam site which can be verified through the Google Imagery available from year 2019 onwards. State Government may comments on the same via-a-vis violation of Forest (Conservation) Act, 1980.

टनकपुर बैराज रो अपरट्रीम में जलाशय क्षेत्र आर०डी० 2200 मी० तक है तथा टनकपुर बैराज रो डाउनस्ट्रीम में निर्मित 336 मीटर तक है, जो खनन हेतु प्रतिबन्धित है राष्ट्र ही एन०एच०पी०सी० द्वारा पावर रटेशन तक नहर के किनारे निर्मित की गई राइक का प्रयोग एन०एच०पी०सी द्वारा किया जाता है साथ ही आयंटित बॉध क्षेत्र में एन०एच०पी०सी० द्वारा समय-समय पर बॉध की मरम्मत कार्य किया जाता है। (छायाप्रति संलग्न-1)

 c. KML file of the safety zone has not been submitted/uploaded online. (छायाप्रति शंलग्नक-2)

d. As the area is located at a distance of approximately 3 km (1.60 km nerial distance) from the boundary of Dudwa-Lagga_Bagga-Philibhit Tiger Corridor, comments of the Chief Wildlife Warden on the proposed proposal may be obtained by the State and the same may be submitted for the Ministry for consideration.

प्रभागीय वनाधिकारी हल्द्वानी वन प्रभाग हल्द्वानी की पत्र रांख्या 173/ 12-1/दिनांक 20.07.2022 के द्वारा दुधवा-लग्गा-बग्गा-पीलीभीत टाईगर कॉरीडोर के राम्बन्ध में गुख्य वन्य जीव प्रतिपालक देहरादून को अनापित प्रगाण पत्र प्रदान करने हेतु लिखा गया है। पत्र की प्रति रांलग्न है। (संलग्नक-ब)

ii. Examination of the Mining scheme revealed the following:

e. Mining Plan/Scheme mention that time extension of lease has been granted for a period of another 10 years vide Government letter dated 26.06.2020. It needs to be clarified by the State whether the extension is considered over 55.03 ha or entire area of 384.69 ha approved under the FC Act, 1980.

आगामी 10 वर्षों के शारदा नदी के खनन क्षेत्र का क्षेत्रफल 384.69 हैक्टे0 है। जिसमें अपस्ट्रीम 101.00 हैक्टे0 तथा डाउनस्ट्रीम 283.69 हैक्टे0 है। जिसमें नदी के दोनों किनारों की ओर 25—25% छोड़ा जाता है। एवं नदी के टापू के क्षेत्र को सम्मिलित किया गया है। इस प्रकार वर्तमान माईनिंग प्लान में डाउनस्ट्रीम 55.3 हैक्टे0 क्षेत्र दर्शित है।

f. Comments of State on validity of Mining Plan / Scheme after 12.02.2023 i.e. whether any revised Mining Plan and renewal of lease is under consideration or granted by the State for further period after the expiry of the lease. In case the certain forest areas are not to be considered mining, such areas should be surrendered back to Forest Department.

इस प्रभाग द्वारा 02 वर्ष का माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है तथा भविष्य हेतु 05 व ीय माईनिंग प्लान की प्रकिया गतिमान है।

e. Lease has been considered for extension for a period of 10 years while the Scheme of Mining has been submitted only up-to 27.12.2020. The discrepancy needs to be rectified by the State.

इस प्रभाग द्वारा 02 वर्ष का माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जिसकी अवधि दिनांक 11.02.2023 तक है तथा आगामी वर्षों हेतु माईनिंग प्लान की प्रकिया गतिमान है।

f. Land use / Component wise breakup of the area proposed for diversion i.e. area under mining, infrastructure, approach road, storage of top soils, etc. has not been mentioned neither in the proposal nor in the Mining Scheme. The same needs to be furnished by the State.

खनन क्षेत्र में दोनों ओर 25 प्रतिशत भाग को छोड़कर शेष भाग में खनन कार्य किया जाता है इस कारण केवल 192.345 है0 क्षेत्र में ही खनन किया जाता है खनन योग्य क्षेत्र में कोई भी infrastructure नहीं है तथा Approach road को माईनिंग प्लान की प्लेट संख्या 06 में दिखाया गया है।

4		
E	g. Mining Plan essentially has to be prepared in consonance with the provisions of the relevant mineral concession rules and accordingly diversion proposal should be formulated by the State. Mining Plan, if any, prepared and approved for the entire period of 10 years may be submitted by the State providing the full detail of the land use, mining area, its reclamation, etc.	योजना प्रस्ताव प्रस्तावित है।
ł	n. Status of District Survey Report, if any, prepared by the State Government in Champawat District in accordance with the Guidelines on Sustainable Sand Mining - 2019 issued by the Ministry visà-vis recommendation made thereof on the mining of RBM proposed in the extant proposal.	चम्पावत जिले की जिला सर्वे रिपोट संलग्नक की जा रही हैं। (छायाप्रति संलग्नक –5)
i	. The State Government may also submit its comments whether the report prepared by the Indian Institute of Soil and Water Conservation is in conformity with the Sustainable Sand Mining Guidelines 2019 or otherwise.	भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के Sustainable Sand Mining Guidelin में 2016 अनुरूप है, उनके द्वारा दिया गया पत्र संलग्न है। (छायाप्रति संलग्नक –6)
j	has not been provided / uploaded online. The same needs to be estimated by accounting all parameters specified in the Guidelines dated 1.08.2017 issued by the Ministry, incorporated at Annexure –III of Handbook of Forest (Conservation) Act, 1980.	लाभ तालिका संलग्न है। (छायाप्रति संलग्नक —7)
	k. As per Supreme Court order dated 28.03.2008, revenue earned from the sale of RBM should be utilized for conservation work. Detail of amount earmarked and incurred on conservation may be provided on annual basis for the last decade.	सुप्रीम कोर्ट के आदेश दिनांक 28.03.2008 के अनुसार आर0बी0एम0 की बिकी से अर्जित राजस्व को विभिन्न विभाग को दिया जाता है विगत व र्गे का विवरण संलग्न है। (छायाप्रति संलग्नक –8)
]	l. Details of money deposited in SPV made in the previous approval and SMC works done so far may also be provided.	एस0पी0वी0 की धनराशि का विगत वर्षों का विवरण संलग्न है। (छायाप्रति संलग्नक —8)

सलमकः उपरोक्तातुमार्।

भवदीय,

(बाबू लाल) प्रभागीय वनाधिकारी, हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी



कार्यालय वहा क्षेजाधिकारी, शारदा वहा क्षेज, टहकपुर

हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी।

एतावापुर (शारदा) वर्त परिशर, वार्ड ताम्बर- ८, जनपद- चापावत, E-mail- roshardarafige@gmail.Com

/ 7-1, पुत्रांदाः :-133

टहाकापुर,

दिनॉका:- 26/07/2022

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी महोदय, हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी।

हरतान्तरित वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण के सम्बन्ध में। विषय :-महोदय,

उपरोक्त विषयक से सादर अवगत कराना है, कि शारदा वन क्षेत्र के अन्तर्गत F.No- 8-61/1999 FC (Pt-111) Date- 11-02-2013 शारदा नदी के उपखनिज का चुगान के सापेक्ष के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण की सूचना निर्धारित प्रारूप में संलग्न कर आवश्यक करार्यवाही हेतु प्रेषित।

यथोपरि। संलग्नक :--

> (महिश सिंह बिष्ट) वन क्षेत्राधिकारी, शारदा वन क्षेत्र, टनकपुर

							,						A DETERMINE	
. 9	2022	2022	2021	2021	2020	2020	2016	2016	2016	2016	2015	디		
	हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी										प्रभाग का नाम			
					F.No- 8-61/1999 FC (Pt- 111) Date- 11-02-2013 शास्त्रा नदी के उपखनिज का गुगान। (384.69 हैंबटेयर)						परियोजना का नाम जिसमे चन भूमि इस्लान्तरण के सापेक्ष झतिपूरक वृक्षारोपण चयनित किया गया है			
	1 1 1 1			t	1	1	1	1	ı	ı		हरतान्तरित यन भूभि		
	शास्दा	शारदा	शारदा	शारदा	शारदा	शारदा	शारदा	शारदा	शारदा	शारदा	सारदा	रेज का नाम	다.	
	शारदा टापू संo- 42	शारदा टापू संo- 37 भाग-01	शारदा टापू संख्या- ३७	शारदा टापू संख्या– 35 व 36 मध्ये	शारदा टापू संख्या- ३४ व ३५ मध्ये	शारदा टापू संख्या- ३६	शारदा टापू संख्या ३७ में	शारदा टापू संख्या 43 व 44 के मध्य	शारदा टापू संख्या ३६	शारदा टापू संख्या ४२	शारदा हितीय बीट शारदा टापू संख्या 35 व 38 के मध्ये	रधल का नाम	तान्तरित वन भू	
lest -	20	21	20	20	20	20	63	16	28	16	25	धतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्रफल (है0 में)	हरतान्तरित बन भूमि के सापेश शतिपूरक वृक्षारोपन	
1	22000	23100	22000	22000	20000	20000	63000	16000	28000	16000	12500	संदा क	युशारोपन	
1 100 000	100%	100%	%16	90%	80%	85%	78%	80%	90%	75%	70%	सफलता प्रतिशत	70	
\	2020725.00 बड़ी हुवी है।	1965091.00	1617520.00	2000351.00	2007748.00	1913554.00	3218523.00	1030047.00	1385467.00	889688.00	2014000.00	व्यय धनराशि		
98640	स्तिक्षण की सन्तात प्राप्त सूते हुत्ते हैं।	वर्तमान में अदिन मृदा कार्य 1965091.00 की धानधीर आया की गयी है तथा वर्तमानमा कार्य पूर्व भून किया गया है सक्त		1	1	- 1	1	1	1	1		अम्युदित		

(BE)-400 H

2022 2022 2022 2022 2022 2022 हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी F.No- 8-61/1999 FC (Pt-उपखनिज का चुगान। (384.69 हैक्टेयर) Date- 11-02-2013 शारदा नदी के ١ ١ शारदा शारदा शारदा शारदा शारदा शारदा शारदा टापू संo- 35 एवं शारदा टापू सं०- ३६ शारदा टापू सं0- 35 एवं भग-01 퍿0- 13 भाग-01 전0- 41 퍿~ 14 शारदा टापू 37 मध्ये शारदा टापू शारदा टापू भाग- 02 भाग-02 सम्पूर्ण योग-- Church 385 21 22 22 15 4 23100 24200 24200 16500 7700 15400 392200

100%

2139503.00

100%

903688.00

31951400.00

100%

1141345.00

हुयी हैं।

धनराशि प्राप्त नही

100%

2140311.00 वनीकरण की

कार्य पूर्ण कर लिया

गयी है। वनीकरण

वन दरोगा / अनुभाग अधिकारी, शारदा टापू अनुभाग। (महेरो सिंह अधिकारी)

शारदा वन क्षेत्र, टनकपुर।

(मर्हश सिंह बिष्ट) वन क्षेत्राधिकारी,

शारदा टापू द्वितीय बीट। (पुष्पेन्द्र सिंह राणा) वन बीट अधिकारी,

(K)-fc1014

2022

शारदा

शारदा टापू

15

16500

100%

2004463.00

100%

1463937.00

100%

वर्तमान में अप्रेम 2095439.00 मृदा कार्य की बनराशि व्यय की



कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी।



तिकोनिया वन परिसर, एल्द्वानी (नैनीताल) दूरभाष/फैनसा : 05946-220002, ई.मेहा (dfohld@gmath.com

112-1

हल्हानी. विनांक

20107

सेवा में,

मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, राजपुर रोड, देहरादून, उत्तराखण्ड

विषयः-

जनपद—चम्पावत के अन्तर्गत रिथत शारवा नवी में 384.00 हैं। बोझ के चुमान कार्य प्रस्ताव के सम्बन्ध में (प्रस्ताव संख्या- FP/UK/ MIN/154581/2022)

उपरोक्त विषयक प्रकरण में वर्ष 2013 में भारत रारकार द्वारा 304.00 है। बोझ में महोदय, उप-चुगान कार्य की स्वीकृति प्रदान की गयी थी, जिसकी अवधि वर्ष फरवरी 23 में सामाप्त हो रही है। पुनः आगामी दस वर्ष का प्रस्ताव तैयार कर उच्च रतर को प्रेषित किया गया था, जिरामें भारत राएकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा अपने पत्र रांख्या-8-61/1990-एपहरीो. (पार्ट-11) दिनांक-13 मई 2022 द्वारा प्रकरण में आपत्ति उठायी गयी है। पन्न की छाया प्रति संलग्न है। गारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा प्रकरण में यह आपत्ति चठायी गयी है कि चवत क्षेत्र दुधवा-लग्गा-वग्गा-पीलीभीत टाईगर कॉरिडोर की सीमा से लगभग 3 कि.मी. (1,6 कि.मी. छवाई दूरी) की दूरी पर रिधत है। प्रस्तावित प्रस्ताव पर मुख्य वन्य जीव वार्डन की टिप्पणिया प्राप्त की जाय। जिसे मंत्रालय के विचाराधीन प्रस्तुत किया जाएगा।

महोदय यद्यपि प्रश्नागत क्षेत्र दुधवा-लग्गा-बग्गा-पीलीभीत टाईगर कॉरिडोर हो 3.00 किमी, की सीमा के अन्तर्गत रिश्नत हैं एवं पूर्व में भी 10 वर्षों के लिए उप चुगान की अनुगति प्रदान की गयी थी। यह भी अवगत कराना है कि उप चुगान से वन्य जीवों पर कोई प्रतिकृत प्रभाव नहीं पुरा। अतः अनुरोध है विज

प्रकरण में उठायी गयी आपिता पर अनापितत प्रमाण पत्र प्रदान करने की कृपा करें।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(वावू लाल) प्रभागीय चनाधिकारी, इल्हानी वन प्रभाग, इल्हानी